न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 46/2022, जिला सीकर

1. रामप्रताप दत्तक पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी गांव पीपराली तहसील व जिला सीकर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. भूमिधारक जरिये तहसीलदार सीकर राज0।
2. ग्राम पंचायत पीपराली जरिये सरपंच तहसील व जिला सीकर।
3. रामचन्द्र पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी गांव पीपराली तहसील व जिला सीकर राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सीकर निर्णय दिनांक 31.12.2021 प्रकरण संख्या 1002/ 2021 उनवानी ग्राम पंचायत पीपराली जरिये सरपंच बनाम तहसीलदार सीकर।

उपस्थित—

1. श्री हरलाल सिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता
3. श्री शर्फीकुर रहमान वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से
4. श्री अशोक कुमार शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से

15/9
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक —12.09.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 31.12.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम पीपराली तहसील व जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नं. 1650 रकबा 5.07 है0 किस्म बारानी को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने तहसीलदार सीकर द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव एवं राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप (6) विभाग के परिपत्र एवं जिला कलक्टर सीकर की पालना में उक्त खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 13.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामप्रताप दत्तक पुत्र चूनाराम द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 31.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी प्रकरण में भूमि खसरा नं.

Scanned by CamScanner

1650 रकबा 5.07 है0 के 1/2 हिस्सा के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार एव काश्तकार है एवं भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं। तहसीलदार सीकर व पटवारी हल्का द्वारा कैम्प शिविर में बिना मौके की जॉच किये उक्त विवादित भूमि में रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं जबकि नक्शे में जो रास्ता दर्शाया गया है वहॉ मौके पर कोई रास्ता नहीं रहा ना ही मौके पर आज भी कायम है। आने जाने हेतु जो रास्ता बना हुआ था वह अन्य खातेदारों के खसरा नम्बर में से होकर जाता था। राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार भी मौके पर बिना कोई रास्ता पूर्व में प्रचलित हुये बिना नया रास्ता कायम करने का कोई प्रावधान नहीं है जिसको नजरअंदाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नया रास्ता कायम करने के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार न करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2021 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 31.12.2021 निरस्त किया जावे। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन मे निम्न दृष्टान्त पेश किये:

1. डी.एन.जे. 2013(1) पेज 24
2. ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 2139

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट द्वारा आराजी खसरा नं. 1650 के अन्य 1/2 हिस्से के खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना, तथ्यों को छुपाकर मियाद बाहर अपील पेश की है। खसरा नं. 1650 का विभाजन हो चुका है एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकन भी हो चुका है। अपीलांट का खसरा नं. 1650 पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। उक्त भूमि पर पूर्व से रास्ता प्रचलित है अन्य खातेदार भी वर्षों से इस रास्ते को आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं एवं मौके पर रास्ता आज भी यथावत कायम है जिस पर अन्य सभी खातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलांट्स को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देकर व मौके की जॉच पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

1. ए.आई.आर. 2019(एन.ओ.सी) 755(म.प्र.)
2. आर.आर.टी. 2017(1) पेज 578

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम पंचायत पीपराली व तहसीलदार सीकर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता चालू है एवं मौके पर प्रचलित है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 21.03.2022 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर ग्रहण किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाते

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned by CamScanner

हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् पर मनन किया गया। पटवारी व तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता चालू है एवं मौके पर प्रचलित है जो कि ग्राम पंचायत पिपराली की एन.ओ.सी. से भी स्पष्ट होता है। हमारा विनम्र मत है कि मौका रिपार्ट व नक्शा ट्रैस से यह स्पष्ट होता है कि खसरा नं. 1620 एक कुआॅ है जिस पर आने जाने हेतु रास्ता कायम है जिस आधार पर मौके पर प्रचलित रास्ते का होना तार्किक प्रतीत होता है। जमाबंदी के अनुसार अपीलांट खसरा नं 1650 के 1/2 हिस्सा के खातेदार है जबकि 1/2 हिस्से के अन्य सभी खातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रचलित रास्ते को गैर मु0 रास्ते के रूप मे दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 31.12.2021 की पालना में नामान्तरकरण स्वीकार होकर दिनांक 10.02.2022 को खोला जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर उचित एवं विधिसम्यक है। हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय दिनांक 31.12.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. समागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner